



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 98 राँची, सोमवार,

7 मार्च, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

परिपत्र

4 मार्च, 2022

विषय:- विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए अंगरक्षकों/सुरक्षा गार्डों की प्रतिनियुक्ति के लिए मार्गदर्शन/मानदण्ड निर्धारित करने के संबंध में ।

संख्या-08/सुरक्षा (11)-02/2015-884--विषयांकित मामले में WP (PIL) No.- 3020/ 2002 राजीव कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 02.07.2002 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय परिपत्र संख्या-1374, दिनांक 11.03.2003 की कंडिका-13 द्वारा राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया गया था:-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. आयुक्त एवं सचिव/सचिव, गृह विभाग | - | अध्यक्ष |
| 2. पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा जो पुलिस महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत होंगे। | - | सदस्य |
| 3. श्री बी०डी०राम, अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची। | - | सदस्य |

2. उक्त परिपत्र में राज्य स्तरीय समिति के एक सदस्य को उनके नाम से अधिसूचित किये जाने के कारण इसके कार्यान्वयन में कतिपय वैधानिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। अतः उक्त समस्या के निराकरण हेतु विभागीय परिपत्र संख्या-1374, दिनांक 11.03.2003 में आंशिक संशोधन करते हुए संदर्भित परिपत्र की कंडिका-13 में राज्य स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग - अध्यक्ष
2. अपर पुलिस महानिदेशक,
विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची - सदस्य
3. पुलिस महानिरीक्षक, जो पुलिस महानिदेशक
द्वारा प्राधिकृत होंगे। - सदस्य

3. विभागीय परिपत्र संख्या-1374, दिनांक 11.03.2003 के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव।
